संख्या-03 /2018/527 /77-2-2018-10(मुद्रण)/2014

प्रेषक,

अरूण कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद परिसर में निर्मित नवीन प्रपत्र भण्डार भवन में मालवाहक लिफ्ट लगाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-52/एए-प्रेस/18, दिनांक 19-4-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में बजट प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि रू0-28.84 लाख से राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद परिसर में निर्मित नवीन प्रपत्र भण्डार भवन में मालवाहक लिफ्ट लगाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित आगणन में प्रस्तावित लागत रू0-28,84,000/- (रूपये अट्ठाइस लाख चौरासी हजार मात्र) पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रस्तावित मालवाहक लिफ्ट की स्थापना अनुमोदित धनराशि रू0-28.84 लाख से की जायेगी। उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-8, लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय 103-सरकारी मुद्रणालय-03-सरकारी मुद्रणालयों में मशीने तथा उपकरणों एवं संयत्रों का क्रय 24-वृहत निर्माण कार्य मद में शासनादेश संख्या-2/2018/526/77-2-18-3(बजट)/2018, दिनांक 09-5-2018 द्वारा आवंटित/निर्गत धनराशि रू0-28.84 लाख में से किया जायेगा।

(2) प्रस्तावित कार्य का सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(3) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री इलाहाबाद, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद तथा अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in

(4) लिफ्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद का होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मालवाहक लिफ्ट निर्धारित विशिष्टियों/मानको के अनुसार ही हो।

(5) कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद द्वारा प्रश्नगत कार्य पूर्ण करने के उपरान्त प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- 03/2018/527(1)/77-2-2018-तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
8- नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।